केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/6/17	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प...वाटिका... में पेश हुई पत्रावली में कोई निर्णय पारित नहीं होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्रावली दिनांक 22/8/17 को पेश हो।	
	22/8/17	पत्रावली पेश हुई। एडवोकेट वादी को प्रतिवादी को तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने की हिदायत दि जावे। पत्रावली दिनांक 17/11/17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	
	17/11/17	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तामील हेतु नोटिस रजिस्टर्ड एडी मय लिफाफा पेश करने की हिदायत दि जावे। पत्रावली वास्ते तामील हेतु दिनांक 27/12/17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर	
	27/12/17	पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित। बारम्बार आवाज लगाई गई, कोई उपस्थित नहीं आया। अन्तिम आवाज 5.10 PM पर लगाई गई। पत्रावली के अवलोकन से आदेशिका दिनांक 27/10/2015 के द्वारा वादी को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस पेश करने के निर्देश	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी जिला जयपुर

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय | बनाम

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		दिये गये थे, जो बावजूद बारम्बार हिदायत आदिनांक तक पेश नहीं किये गये है। इससे यह ज्ञात होता है कि वादी वाद को चलाने में कतई इच्छुक नहीं है तथापि हमने न्यायहित में वाद का अवलोकन कर पाया कि वादी वाद पत्र के पैरा 4 व 5 के अनुसार विशिष्ट करार की अनुपालना चाहते हुए वादग्रस्त भूमि का विक्रय पत्र पंजीकृत कराना चाहता है जो कि न्यायालय हाजा का क्षेत्राधिकार न होकर सिविल न्यायालय की अधिकारिता में स्थित होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अदम हाजिरी व अदम पैरवी सपठित आदेश 9 नियम 5 CPC व 151 CPC में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर रजिस्टर होने पर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।